

English -12W x 20H

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF
EUROTAS INFRASTRUCTURE LIMITED

1	Name of Corporate Debtor	Eurotas Infrastructure Limited
2	Date of Incorporation of Corporate Debtor	February 23, 2011
3	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated / Registered	Registrar of Companies, Delhi Registration No. 214733
4	Corporate Identity Number / Limited Liability Identity Number of Corporate Debtor	CIN: U70101DL2011PLC214733
5	Address of the Registered Office and Principal Office (if Any) of the Corporate Debtor	A. Registered Office: Basement A-103, Road No. 4 Mahalaxmi Extension, New Delhi - 110 037, India. B. Plant Address: MIDC, Additional Sector, Musabjeon - 422 112, Maharashtra, India.
6	Date of Closure of Insolvency Resolution Process	September 12, 2023
7	Liquidation / Commencement Date of Corporate Debtor	September 12, 2023 (W/o NCLT Order dated September 12, 2023)
8	Name and Registration Number of the Insolvency Professional acting as Liquidator	Name: Mr. Huzefa Fakhri Shaikhani IBBI Registration Number: IBBI/IPA-001/P-00003/2017-18/10115 Authorisation for Assignment valid till December 23, 2023
9	Address and E-mail of the Liquidator, as registered with the Board	Registered Address of Liquidator 1012, Dajamal Tower, Free Press Journal Road, 211, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, India Registered Email Address: huzefa.shaikhani@gmail.com
10	Address and E-mail Address to be used for Correspondence with the Liquidator	Think Capital Insolvency Professionals LLP 1011-1012, Dajamal Tower, Free Press Journal Marg, 211, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, India Email Id for Correspondence: ctpshis@gmail.com
11	Last Date For Submission Of Claims	October 12, 2023

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Bench - V, New Delhi has ordered the commencement of liquidation of the Eurotas Infrastructure Limited vide order dated September 12, 2023.

The stakeholders of Eurotas Infrastructure Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before October 12, 2023, to the liquidator at the address mentioned against item 10 above.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims or person by post or by electronic means.

The proof of claim is to be submitted by way of the following specified forms along with a duly authenticated documentary proof in support of claim.

- Form C - For Claim by Operational Creditors except Workmen and Employees
- Form D - For Claim by Financial Creditors
- Form E - For Claim by Workmen or an Employee
- Form F - For Claim by Authorized Representative of Workmen or Employees
- Form G - For Claim by any Other Stakeholder

The above-mentioned forms can be downloaded from the website www.ibbi.gov.in of the Insolvency and Bankruptcy Board of India.

Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.

In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 shall be deemed to be submitted under section 38.

Authorisation for Assignment valid till December 23, 2023

Sd/-
Huzefa Fakhri Shaikhani
Liquidator
Date: September 15, 2023
Place: Mumbai
IBBI/IPA-001/P-00003/2017-18/10115
Authorisation for Assignment valid till December 23, 2023

Hindi - 12W x 20H

फॉर्म बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाल्य और शोधन अधिनियम बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, २०१६ का विनियम १२)
युरोतस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
के स्टॉकहोल्डर्स के ध्यानार्थ

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	युरोतस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट देनदार के पते की तिथि	23 फरवरी 2011
3	प्रतिपक्ष जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार पंजीकृत/पंजीकृत है	कंपनी पंजीकृत, दिल्ली पंजीकरण सं. 214733
4	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमांत पहचान पहचान सं.	CIN: U70101DL2011PLC214733
5	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और का पता	क. पंजीकृत कार्यालय: कैम्पस, ए-103, रोड नं. 4, महालक्ष्मी विस्तार, मुम्बई-400 021, महाराष्ट्र, भारत ख. पंजीकृत का पता: एम.आई.टी. महाराष्ट्र विस्तार, मुम्बई-422 112, महाराष्ट्र, भारत
6	दिवाल्य समापन प्रक्रिया बंद होने की तिथि	12 सितम्बर, 2023
7	कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन प्रारम्भ तिथि	12 सितम्बर, 2023 (एनसीएलटी अदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2023)
8	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नाम: श्री हुजेफा फखरी शाखानि आईबीआईआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/P-00003/2017-18/10115 साइजमेंट के लिए अधिपत्र 23 सितम्बर 2023 तक
9	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार परिसमापक का पता एवं ई-मेल	परिसमापक का पंजीकृत पता: 1012, दालमल टॉवर, जी प्रेस जर्नल रोड, 211, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021, महाराष्ट्र, भारत पंजीकृत ई-मेल पता: huzefa.shaikhani@gmail.com
10	परिसमापक के साथ परामर्श के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल	परामर्श के लिए पता: थिंक कैपिटल इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लि., जी प्रेस जर्नल रोड, 211, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021, महाराष्ट्र, भारत परामर्श के लिए ई-मेल: huzefa.shaikhani@gmail.com
11	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	12 अक्टूबर, 2023

यहांद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कंपनी कानून बोर्ड (एनसीएलटी), नई दिल्ली ने 12 सितम्बर, 2023 को युरोतस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया है।

किसी पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरधारकों को "एनसीएलटी" में 12 सितम्बर, 2023 तक या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

निम्न अनुसार की केलन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से प्रमाण जमा करना होगा। अन्य सभी शेयरधारकों को प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

Marathi

12W x 20H

फॉर्म बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाल्य और शोधन अधिनियम बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, २०१६ या विनियम १२)
युरोतस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
के स्टॉकहोल्डर्स के ध्यानार्थ

१	कॉर्पोरेट ऋणकार का नाम	युरोतस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
२	कॉर्पोरेट ऋणकार का स्थानीय तारीख	२३ फरवरी, २०११
३	प्रतिपक्ष जिसके अधीन ऋणकारी रजिस्ट्रार/नॉन-रजिस्ट्रार अंतिम आहे	कंपनी निबंधक, दिल्ली नॉन-रजिस्ट्रार सं. २१४७३३
४	कॉर्पोरेट ऋणकार की कॉर्पोरेट ओवरलैप क / सीमांत पहचान पहचान सं.	CIN: U70101DL2011PLC214733
५	कॉर्पोरेट ऋणकार का पंजीकृत कार्यालय और का पता	क. पंजीकृत कार्यालय: कैम्पस, ए-१०३, रोड नं. ४, महालक्ष्मी विस्तार, मुम्बई-४०० ०२१, महाराष्ट्र, भारत ख. पंजीकृत का पता: एम.आई.टी. महाराष्ट्र विस्तार, मुम्बई-४२२ ११२, महाराष्ट्र, भारत
६	दिवाल्य समापन प्रक्रिया बंद होने की तिथि	१२ सितम्बर, २०२३
७	कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन प्रारम्भ तिथि	१२ सितम्बर, २०२३ (एनसीएलटी अदेश दिनांक १२ सितम्बर, २०२३)
८	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नाम: श्री हुजेफा फखरी शाखानि आईबीआईआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/P-00003/2017-18/10115 साइजमेंट के लिए अधिपत्र २३ सितम्बर २०२३ तक
९	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार परिसमापक का पता एवं ई-मेल	परिसमापक का पंजीकृत पता: १०१२, दालमल टॉवर, जी प्रेस जर्नल रोड, २११, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-४०० ०२१, महाराष्ट्र, भारत पंजीकृत ई-मेल पता: huzefa.shaikhani@gmail.com
१०	परिसमापक के साथ परामर्श के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल	परामर्श के लिए पता: थिंक कैपिटल इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लि., जी प्रेस जर्नल रोड, २११, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-४०० ०२१, महाराष्ट्र, भारत परामर्श के लिए ई-मेल: huzefa.shaikhani@gmail.com
११	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	१२ अक्टूबर, २०२३

यहांद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कंपनी कानून बोर्ड (एनसीएलटी), नई दिल्ली ने १२ सितम्बर, २०२३ को युरोतस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया है।

किसी पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरधारकों को "एनसीएलटी" में १२ सितम्बर, २०२३ तक या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

निम्न अनुसार की केलन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से प्रमाण जमा करना होगा। अन्य सभी शेयरधारकों को प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

किसी भी - कामगार एवं कर्मचारी को जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।